[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–20 एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 की उप–धारा (7क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन।

"(7क) ग्राम सभा के किसी सामान्य अधिवेशन के लिए, ग्राम सभा के सदस्यों का एक बटा दस अथवा तीन सौ सदस्यों, जो भी कम हो, से गणपूर्ति होगी :

परन्तु किसी सरकारी स्कीम के चिह्नित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए अथवा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु, ग्राम सभा के बीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी। यदि अधिवेशन हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि एक घंटे की ऐसी अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच, अधिवेशन को आगामी दिन या ऐसे दिन के ऐसे समय तक, जो वह विनिश्चित करे, स्थगित कर देगा। केवल वही कारबार, जिसे अधिसूचित अधिवेशन के समक्ष लाया जाना था, स्थगित अधिवेशन में लाया जाएगा और संव्यवहारित किया जाएगा और ग्राम सभा के पन्द्रह प्रतिशत सदस्यों से ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। यदि स्थगित अधिवेशन में ग्राम सभा के पन्द्रह प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति नहीं होती है, तो आगामी अधिवेशन में ग्राम सभा के निम्नलिखित सदस्यों से गणपूर्ति होगी, अर्थात् :–

(क) पाँच सौ सदस्य, जहां ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या दस हजार या से अधिक हो;

(ख) चार सौ सदस्य, जहां ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या पाँच हजार से अधिक किन्तु दस हजार से कम हो; तथा

(ग) तीन सौ सदस्य, जहां ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या पाँच हजार या से कम हो।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत, सरकारी योजनाओं के लिए चिन्हित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने एवं उनका अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम सभा की बैठक में सामान्य बैठक की अपेक्षा अधिक कोरम निर्धारित किया गया है, ताकि अधिकाधिक सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे।

परन्तु, यह देखा गया है कि इस बैठक में 40 प्रतिशत, प्रथम स्थगित बैठक में 30 प्रतिशत तथा द्वितीय स्थगित बैठक में 20 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का निर्धारित कोरम प्राप्त करना कठिन हो रहा है और अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पा रही है। बैठकों में अपेक्षित कार्यवाही न होने के कारण सरकारी योजनाओं को लागू करने में देरी हो रही है।

इसलिए, कोरम की जरूरत को तर्कसंगत वनाने लिए मुख्य बैठक में कुल सदस्यों का 20 प्रतिशत, प्रथम स्थगित बैठक में 15 प्रतिशत तथा द्वितीय स्थगित बैठक में निर्धारित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति को कोरम के रूप में निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य ग्राम सभा में पर्याप्त जनभागीदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लक्ष्य और इस व्यावहारिक जरूरत के बीच संतुलन बनाना है कि ग्राम सभा की बैठकें अपना तय काम प्रभावी ढंग से और समयबद्ध रूप से कर सकें।

अतः यह विधेयक है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 27 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 27 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

X X X X X X

11(1) से (4) XXXXXXXX

(5) यदि उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित महाधिवेशन अथवा उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित विशेष महाधिवेशन नहीं बुलाया जाता है तो खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी ऐसा अधिवेशन बुलाएगा।

(6) XXXXXXXX

(7) XXXXXXXX

(7क) ग्राम सभा के किसी सामान्य अधिवेशन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों का एक बटा दस अथवा तीन सौ सदस्यों, जो भी कम हो, से गणपूर्ति करेंगे :

परन्तु किसी सरकारी स्कीम के चिह्नित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए अथवा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु, ग्राम सभा के चालीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी। यदि अधिवेशन हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि एक घंटे की ऐसी अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच, अधिवेशन को अगले दिन या ऐसे दिन के ऐसे समय तक, जो वह निश्चित करे, स्थगित कर देगा। केवल वही कारबार, जिसे अधिवेशन के समक्ष लाया जाना था, स्थगित अधिवेशन में लाया जाएगा और संव्यवहारित किया जाएगा और ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। यदि स्थगित अधिवेशन में ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति नहीं होती है, तो आगामी अधिवेशन में ग्राम सभा के बीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

X X X X X X

12831—H.V.S.—H.G.P., Pkl.